



(6)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

संकल्प

विषय : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत राज्य के वैशे व्यक्तियों को जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक रु० 8.00 (आठ लाख) से कम हो, उन्हें असाध्य रोगों यथा-सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक से प्रभावितों को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 184 (13) स्वा० संवी दिनांक-17.07.2015 के आलोक में झारखण्ड राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले एवं रु० 28,000 (सत्रह हजार) से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को विभाग द्वारा सूचीबद्ध रोगों के उपचार हेतु चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती थी। झारखण्ड राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने के पश्चात् विभागीय पत्रांक-369/स्वा० दिनांक-19.03.2019 द्वारा इस योजना अंतर्गत सूचीबद्ध 1408 बीमारियों को छोड़कर शेष असाध्य रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान की जाती रही है।

2. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को कारगर बनाने हेतु इस योजनाअंतर्गत असाध्य रोगों, यथा-सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग से पीड़ित वैशे व्यक्तियों को, जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक 8.00 लाख से कम है तथा एसिड अटैक के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान की जायेगी।

3. एसिड अटैक के मामलों में आय की बाध्यता नहीं होगी।

4. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण तथा गंभीर लीवर रोगों के लिए प्रत्येक मामले में अधिकतम रु० 5.00 लाख का चिकित्सा अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5. यह सुविधा झारखण्ड राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं अन्य राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों तथा सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों में ही मान्य होगा (सूची संलग्न है- अनुलग्नक-1)। अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6. उपरोक्त बीमारियों के अतिरिक्त W.P(CrI) No-129 of 2016 लक्ष्मी बनाम संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय अधिसूचना सं० 397 (13) दिनांक-30.10.2019 के आलोक में एसिड अटैक से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज पर होने वाले संपूर्ण व्यय (जिसमें शय्या, दवा, भोजन, शल्यक्रिया एवं Reconstructive Surgeries इत्यादि पर व्यय शामिल होगा) की प्रतिपूर्ति इस योजना में विहित राशि से संबंधित सिविल सर्जन द्वारा की जाएगी। यह सुविधा सभी सरकारी/निजी अस्पतालों के लिए ही मान्य होगी।

7. सकल वार्षिक आय की अधिसीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले परिपत्रों के अनुरूप होगी।

8. रोगों की चिकित्सा हेतु सहायता राशि दर संबंधित अस्पताल के शहर के लिए अधिकतम CGHS के द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप होगी अथवा अधिकतम 5 लाख तक सीमित रहेगी। अस्पताल के द्वारा प्राक्कलन भेजते समय उस शहर के CGHS दर की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

9. सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लीवर रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज में सिविल सर्जन द्वारा 5.00 लाख तक की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

श. जारखण्ड

997  
24/2/20

39(13)

14/08/2020

1

www



10. योजना अंतर्गत सिविल सर्जन के अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति गठित होगी:-

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. अरौन्धत शल्य चिकित्सा सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  | - | अध्यक्ष |
| 2. उपर्युक्त द्वारा नामित एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी | - | सदस्य   |
| 3. स्थानीय माननीय विधायक/विधायक प्रतिनिधि             | - | सदस्य   |
| 4. जिला कल्याण पदाधिकारी                              | - | सदस्य   |
| 5. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल                             | - | सदस्य   |
| 6. सदर अस्पताल की वरीयतम महिला चिकित्सा पदाधिकारी     | - | सदस्य   |
| 7. संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी      | - | सदस्य   |

11. समिति का कोरम दो तिहाई (2/3) होगा तथा समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को आहूत की जायेगी। सोमवार को अवकाश रहने पर अगले कार्यदिवस पर बैठक की जायेगी। समिति प्राप्त अभ्यावेदनों की नियमानुसार जाँच/समीक्षा कर बैठक के दिन ही गरीबों को उपचार हेतु पत्र हस्तगत करायेगा। उसी दिन संबंधित अस्पतालों को भी Fax अथवा E-Mail द्वारा स्वीकृति की सूचना देगा।
12. सभी सिविल सर्जन स्वीकृति देते समय स्वीकृतादेश में यह अंकित करेंगे कि स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर मरीज अपना ईलाज संबंधित अस्पताल में कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उसकी वैधता समाप्त हो जायेगी। विशेष परिस्थिति में ही पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए इसमें छूट दी जायेगी।
13. किसी विशिष्ट मामले में यदि निर्धारित सीमा से अधिक राशि देने की आवश्यकता होगी, तो ऐसे मामलों में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
14. राज्य स्तर पर "मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना" के संचालन अनुश्रवण, नियंत्रण पर्यवेक्षण, निगरानी एवं निरीक्षण आदि के लिए एक राज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता प्रबन्धन समिति का गठन किया जाता है। समिति की संरचना निम्नवत् होगी :-

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. मंत्री, स्वा०, चि०शि० एवं प०क० विभाग         | - | अध्यक्ष    |
| 2. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग            | - | सदस्य      |
| 3. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग                | - | सदस्य      |
| 4. प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग               | - | सदस्य      |
| 5. निदेशक, रिम्स, राँची                         | - | सदस्य      |
| 6. प्रभारी अपर/संयुक्त/उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग | - | सदस्य सचिव |

प्रबन्ध समिति के कार्यकलापों के संदर्भ में स्थापना एवं आकस्मिकता मद में व्यय की वर्तमान व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

15. "मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना" के तहत विभाग द्वारा सभी जिलों के सिविल सर्जन को राशि आवंटित की जायेगी। संबंधित सिविल सर्जन राशि के जिकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो आवश्यकतानुसार राशि की अग्रिम निकासी कर जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति के खाते में रखेंगे तथा राशि का समुचित उपयोग कर इसका DC विपत्र रासमय महालेखाकार, झारखण्ड को भेजेंगे।

इस राशि का लेखा अलग रोकड़बही (Cash Book) में संधारित किया जायगा।

16. योजना के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु लाभुकों को उपर्युक्त जिला स्तरीय समिति के समक्ष निम्न प्रपत्र में आवेदन करवा होगा:-

39(13)  
14/02/2020



मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन का प्रपत्र (एसिड अटैक मामले को छोड़कर)

1. रोगी का नाम :-
2. रोगी के पिता/पति का नाम :-
3. स्थाई पता (मो० नम्बर के साथ) :-
4. रोग का नाम :-
5. श्रेणी :-

रोगी का अद्यतन फोटो

| परिवार | सकल वार्षिक आय (अधिकतम 8 लाख) |
|--------|-------------------------------|
|        |                               |

6. अस्पताल का नाम (जहाँ इलाज कराना है) :-
  7. इलाज के लिए अस्पताल द्वारा प्राक्कलित राशि :-
- वांछित कागजात :
1. दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
  2. आय प्रमाण-पत्र।
  3. अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन।

आवेदक अथवा अभिभावक का हस्ताक्षर  
/अंगूठे का निशान

17. जिला स्तरीय समिति, चिकित्सा सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों के साथ संलग्न कागजातों की जाँच/समीक्षा करेगी। प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ लक्षित समूह को ही प्राप्त हो।
18. इस योजना के तहत उपर्युक्त वर्णित रोगों के लिए लाभुकों को अनुदान की स्वीकृति, जो तत्काल जीवन रक्षा से संबंधित हो, विशेष परिस्थिति में सिविल सर्जन द्वारा दी जा सकेगी, किन्तु उसकी घटनोत्तर स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जायेगी।
19. चिकित्सा सहायता की राशि संबंधित अस्पताल/संस्थान को बैंक ड्राफ्ट अथवा उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से दी जायेगी। स्वीकृति सहायता राशि की व्यय विवरण/प्राप्ति रसीद तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व इसकी विधिवत जाँच करा कर अग्रिम राशि का समायोजन किया जायेगा तथा उसका विस्तृत वर्गीकृत ब्यौरा सरकार को एवं राज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
20. चिकित्सा सहायता हेतु लाभुक को अपने जिला में ही आवेदन देना होगा।
21. यदि किसी भी स्थिति में यह पाया गया कि प्रमाण पत्र/छद्मनाम या गलत उद्देश्य से अनुदान की राशि की स्वीकृति या भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम (PDR, Act) के अधीन संबंधित व्यक्ति से समूल राशि वसूलनीय होगा एवं आपराधिक मामला भी दर्ज किया जायेगा।
22. आय से सम्बन्धित कागजात अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।



23. योजना के अधीन लाभुकों का इलाज अधिकाधिक रूप से सरकारी अस्पतालों में हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
24. इस योजना के तहत अस्पतालों को अग्रिम भुगतान करना पड़ता है, अतः यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उतनी ही राशि की अग्रिम निकासी की जाय जितनी आवश्यक है।

25. व्यय का विकलन निम्नांकित शीर्ष से होगा :-

मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -लघु शीर्ष-001 -निदेशन और प्रशासन -उपशीर्ष-49 -मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना 06-अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अनु०-यथोक्त।

*W. K. M. S. M.*  
14/2/2020  
(डॉ० नितीन कुलकर्णी)  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-13/नीति (चि०प्रति०)-10-02/2015 - 39(13) स्वा०/दिनांक:- 14/02/2020  
प्रतिलिपि-विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/उप सचिव सह-नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची प्रेषित।

*W. K. M. S. M.*  
14/2/2020  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-13/नीति (चि०प्रति०)-10-02/2015 39(13) स्वा०/दिनांक:- 14/02/2020  
प्रतिलिपि:-राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

*W. K. M. S. M.*  
14/2/2020  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-13/नीति (चि०प्रति०)-10-02/2015 39(13) स्वा०/दिनांक:- 14/02/2020  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*W. K. M. S. M.*  
14/2/2020  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-13/नीति (चि०प्रति०)-10-02/2015 39(13) स्वा०/दिनांक:- 14/02/2020  
प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, स्वा० विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

*W. K. M. S. M.*  
14/2/2020  
सरकार के प्रधान सचिव

59

39(13)  
14/02/2020

59

प्रतिलिपि:- अभियान निदेशक, एम०एच०एम०, झारखण्ड, राँची/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड, राँची/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड/ निदेशक, रिम्स, राँची/ निदेशक, रिनपास, कर्कें, राँची/ प्राचार्य/ अधीक्षक, एम०जी०एम०चि०महा० एवं अस्पताल, जमशेदपुर/ पी०एम०सी०एम०, धनबाद/ ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची/ सभी सिविल सर्जन/ सभी कोचमगर पदाधिकारी, झारखण्ड/ स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/ सभी संबंधित अस्पताल/ चिकित्सा संस्थानों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*W. Kumar*  
सरकार के प्रधान सचिव।

56

68

39(13)  
14/08/2020



अनुलग्नक-1

1. वेदान्ता मेडीसिटी, गुडगाँव, हरियाणा।
2. डाइसन हॉस्पिटल, कोलकता।
3. अपोलो ग्लेनीग्लस हॉस्पिटल, कोलकता।
4. मेडिका सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कोलकता।
5. च्यूरी अब्दुल रज्जाक अंशारी कैंसर इंस्टीच्यूटी, इरवा, राँची।
6. मेहरबाई टाटा गेगोरियल हॉस्पिटल, जमशेदपुर।
7. इंदिरा गाँधी इंस्टीच्यूटी आफ मेडिकल साइंस, शेखपुरा, पटना।
8. झारखण्ड राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/एवं अन्य राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।
9. भारत सरकार के सभी केंद्रीय चिकित्सा संस्थान।
10. टाटा स्मारक अस्पताल, गुवाड़।
11. संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
12. महावीर कैंसर इंस्टीच्यूटी, फुलवारी शरीफ, पटना।
13. अपोलो भुजेश्वर एवं अपोलो हैदराबाद।
14. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
15. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, भैल्लोर।
16. पी०जी०आई०, चण्डीगढ़।
17. भगवान महावीर मेडिका सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बुटी मोड़, राँची।
18. रुबी जेनरल हॉस्पिटल लिमिटेड, कोलकता।
19. पारस हमरी हॉस्पिटल, पटना।
20. असफ़ी हॉस्पिटल लिमिटेड, घनबाद।
21. आर०जे०एस०पी० कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कटहल मोड़, राँची।
22. राज हॉस्पिटल, मेन रोड़, राँची।
23. 111 रोव लाईफ हॉस्पिटल, मेन रोड़, आदित्यपुर-2, जमशेदपुर।
24. Basovatarakam Indo American Cancer Hospital Research Institute, Hyderabad.
25. Artemis Hospital, Gurgaon, Haryana.
26. Pushpawati Singhanian Hospital & Research Institute, New Delhi.
27. Glencagles Global Health City Hospital, Chennai.
28. Indian Spiral Injuries Center, New Delhi.
29. पियरलेस हॉस्पिटैक्स हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, कोलकता।
30. सी०एम०आर०आई०द० कलकता मेडिकल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, कोलकता।
31. सरोज गुप्ता कैंसर सेन्टर एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट ठाकुरपूकूर, कोलकता।
32. मिशन ऑफ मर्सी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोलकता।
33. नारायण सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, हावड़ा, कोलकता।
34. नारायण रवीन्द्रनाथ टेगोर, इन्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ कार्डिक साइंस, कोलकता।
35. B.P.Poddar Hospital & Medical Research Limited, Kolkata.
36. Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad.
37. टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH), बिष्णुपुर, जमशेदपुर।
38. मॉ ललिता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, देवघर।
39. मिशन हास्पिटल, दुर्गापुर।
40. फोर्टिस हास्पिटल, कोलकाता।



श्री पारस  
नम

झारखण्ड सरकार  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संचिका सं०-13/नीति (चि०प्रति०)-10-2/15 - 151(13)

प्रेषक,

आलोक त्रिवेदी  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,  
झारखण्ड।

5040  
02/12/2020

राँची, दिनांक : 04/11/2020

विषय: मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या-39(13) दिनांक-14.02.2020 के क्रम में राज्य एवं राज्य से बाहर नये अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के संबंध

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या-39(13) दिनांक-14.02.2020 के आलोक में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर करने वाले इस योजनान्तर्गत असाध्य रोगों यथा सभी प्रकार के कैंसर, किडनी, प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग से पीड़ित वैसे व्यक्तियों को जिनका सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक 8.00 लाख से कम है तथा एसिड अटैक के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्य में पीड़ित लोगों के ईलाज हेतु राज्य एवं राज्य से बाहर के पूर्व से 40 (चालीस) सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त निम्नलिखित 5 (पाँच) चिकित्सा संस्थानों को उक्त सूची में शामिल किया जाता है :-

1. Vivekananda Hospital Pvt. Ltd., Durgapur
2. Alam Hospital & Research Centre Pvt. Ltd., Ranchi
3. AMRI Hospital, Dhakuria, Kolkata
4. Gauri Devi & Research Institute, Durgapur
5. N.H. Brahmananda Narayana Multispecialty Hospital, Jamshedpur.

इस प्रकार अब तक कुल सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों की संख्या 45 (पैंतालिस) हो गयी है। कुल 45 (पैंतालिस) सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों को C.G.H.S. दर पर ईलाज करने का निदेश दिया जाता है एवं इस हेतु संबंधित सिविल सर्जन इन सूचीबद्ध संस्थानों की स्वीकृति राशि उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन



4/11/2020  
(आलोक त्रिवेदी)

सरकार के संयुक्त सचिव

# मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता हेतु

आवेदन का प्रपत्र (एसिड अटैक मामलों को छोड़कर)

1. रोगी का नाम :
2. रोगी के पिता/पति का नाम :
3. स्थाई पता (मो0 नम्बर के साथ) :

PHOTO

4. रोग का नाम :
5. श्रेणी :

|        |  |
|--------|--|
| परिवार | सकल वार्षिक आय (अधिकतम 8 लाख)<br>लगातार तीन वर्षों तक 8.00 लाख से कम |
|        |  |

6. अस्पताल का नाम (जहाँ ईलाज कराना है) :

7. ईलाज के लिए अस्पताल द्वारा प्राक्कलित राशि :

- वांछित कागजात :
1. दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
  2. आय प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी(CO) द्वारा निर्गत (विगत तीन वर्षों का अधिकतम आठ लाख)। से कम ।
  3. अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन (रोगी का फोटो अस्पताल द्वारा अभिप्रमाणित)।
  4. ओ0पी0डी0 पुर्जा एवं जाँच रिपोर्ट।
  5. आवासीय प्रमाण पत्र।
  6. रोगी का पहचान पत्र।
  7. शपथ पत्र/घोषणा पत्र।

आवेदक अथवा अभिभावक का हस्ताक्षर  
/अंगूठे का निषान